न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –1757/2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. घीसालाल पुत्र सूरजा
2. सत्यनारायण पुत्र घीसालाल
3. लादू पत्र छोगा

समस्त जाति कुमावत निवासीगण मेहरूकंला तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र भूरा जाति कुमावत
2. भूरा पुत्र उदा कहार
   तमाम निवासीगण मेहरूकंला तह. सावर जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

4. गोकल पुत्र सूरजा जाति कुमावत निवासी मेहरूकंला तह.सावर जिला अजमेर।

प्रफॉर्मा प्रतिवादी

राज. काश्त. अधिनियम संपठित धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांकः–15.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प मेहरूकंला में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वाके जमाबन्दी स. 2072–75 ग्राम मेहरूकंला के खाता स. 254 के खसरा नम्बर 2756,2757,2758,2759,2793 कुल किता 5 कुल रकबा 0.48 है. दर्ज खातेदार है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थीगण ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजीयात का पडोसियान का कोई सरोकार नही है। अप्रार्थीगण की नयत बद है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने का आदेश अप्रार्थीगण को फरमाया जावें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात हेतु प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी आराजीयात में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे । जिसके कारण वादी द्वारा उक्त आराजीयात की पत्थगढी किये जाने हेतु यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली दिनांक 12.7.17 को प्रतिवादी स. 1 उपस्थित हेाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद से कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी स. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामसिंह राठोड ने पावर पेश किया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली केम्प कोर्ट मेहरूकंला में पेश हुई ।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार का अवलोकन किया। प्रस्तुत जवाब सरकार में वादपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 4 को स्वीकार किया गया जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी, कब्जे, स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजीयात है । वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी की आराजीयात होने से वादीगण का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके वाके जमाबन्दी स. 2072–75 ग्राम मेहरूकंला के खाता स. 254 के खसरा नम्बर 2756,2757,2758,2759,2793 कुल किता 5 कुल रकबा 0.48 है. भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 15.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्डअधिकारी
केकड़ी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official